# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 24.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला,ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, जागरूक एक्सप्रेस,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

## अमर उजाला–दि0 24.12.2024

### वीडीए ने 4 बीघे की अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

**वाराणसी।** वीडीए की ओर से सोमवार को शिवपुर वार्ड के बड़ागांव कोईराजपुर में अज्ञात की ओर से बगैर ले आउट स्वीकृत कराए 4 बीघे में अवैध प्लॉटिंग कराई जा रही थी। मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश की अगुवाई में प्रवर्तन टीम ने प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। ब्यूरो

## ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 24.12.2024

### जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 04 बीघे में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी

वाराणसी। वार्ड–शिवपुर, थाना–बड़ागांव के अन्तर्गत कोइराजपुर में अज्ञात द्वारा बिना ले–आउट स्वीकृत कराये लगभग 04 बीघा में की गयी अवैध प्लाटिंग को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत आज दिनांक 23/12/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता विजय सिंह व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले–आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com


## न्यायाधीश–दि0 24.12.2024

### वीडीए जोन -4 की प्रर्वतन टीम ने ध्वस्त की 4 बीघे में विकसित अवैध प्लाटिंग

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में 23 दिसम्बर को जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 04 बीघे में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-शिवपुर, थाना-बड़ागांव के अन्तर्गत कोइराजपुर में अज्ञात द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग 04 बीघा में की गयी अवैध प्लाटिंग को 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत आज दिनांक 23/12/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। इस मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता विजय सिंह व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

## जागरूक एक्सप्रेस–दि0 24.12.2024

### अवैध प्लाटिंग पर चला वीडीए का बुलडोजर

वाराणसी। अवैध निर्माण के खिलाफ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है। सोमवार को वीडीए की टीम एक शिकायत पर शिवपुर वार्ड के कोइराजपुर इलाके में पहुंची। वहां पर लगभग चार बीघा में छोटे-बड़े प्लॉट काटे गए थे। प्लाटिंग बिना लेआउट के की गई थी। वीडीए की टीम ने प्लाटिंग करने वाला का पता लगाने की कोशिश की लेकिन कोई कालोनाइजर सामने नहीं आया। जोनल अधिकारी गौरव सिंह के आदेश पर प्रवर्तन की टीम ने बुलडोजर से अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। जोनल अधिकारी ने बताया कि यहां छोटे बड़े 30 से अधिक प्लॉट काटे गए थे। 2 से 3 फीट तक बाउंड्री की गई थी। [illegible] नक्शा पास कराये बिना प्लाटिंग चल रही थी।